न्यायालय विशेष न्यायधीश, 'पॉक्सो एक्ट'/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, कानपुर
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1369/2026
CNR No–UPKN010038842026

आदित्य राय उम्र 28 वर्ष, पुत्र काशीराम राय, निवासी– एल–41 केशवपुरम, आवास विकास–1, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कानपुर नगर।
2. वादी श्यामबाबू गौतम पुत्र स्व० छोटीलाल गौतम, निवासी– नौरंगाबाद बिठुर, कानपुर नगर।
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–299/2016
धारा–363, 366 आई०पी०सी० व 7/8 पाक्सो एक्ट,
व 3(2) 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–बिठूर, जिला–कानपुर नगर।

05.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त आदित्य राय की ओर से उपरोक्त मुकदमे में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक एफ.आई.आर. के अनुसार इस प्रकार है कि, "प्रार्थी श्यामबाबू गौतम पुत्र स्व छोदीलाल गौतम की बेटी प्रीती उर्फ विजय कान्ती/श्यामबाबू गौतम उम्र लगभग बारह साल की है 24–9–16 को तीन बजे से गायब है कि पता चला कि उसकी दो सहेली सुधा s/o सूरज तथा दूसरी लडकी चांदनी के सहयोग से अज्ञात जिसका नाम आदित्य बता रही है के द्वारा बहला फुसला कर कही अज्ञात जगह पर ले गया है लडकी जिस दिन गायब हुई है उस दिन उसने पिरोजी कलर सूट लाल सलवार व दुपट्टा पहना था। दिनांक 25.9.16 को 11:29 समय पर 9838830106 नं० से फोन करके लड़की ने बताया है कि हमे शिकोहाबाद के पास कही लिये जा रहे है इसके बाद फोन कट गया और नं0 स्विच आफ वता रहा है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी नाबालिग लड़की की हमे ढूढने में मदद करें तथा अभियुक्तो के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।"

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रार्थी को केवल हैरान व परेशान करने के उददेश्य से अभियुक्त संस्थित किया गया। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अपराध नही किया गया है जबकि हाजा थाना द्वारा फर्जी तरह से झूठे मुकदमे मे फसाये जाने के उददेश्य से फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है व हाजा थाना सांठ–गांठ करके प्रार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दी गई। जबकि प्रार्थी कई वर्षो से राज्य से बाहर नौकरी के सिलसिले से गया हुआ था। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 व्यक्तियो पर दर्ज की गई

है। जबकि आरोप पत्र मात्र प्रार्थी के खिलाफ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रस्तुत आरोप पत्र में सलंगनक धारा–161 के बयान से स्पष्ट है कि प्रार्थी पीडिता को न तो डराया न ही अपने साथ ले जाने के लिये किसी प्रकार का दबाव बनाया। जैसा की प्रथम सूचना रिपोटे में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत धारा–164 सी०आर०पी०सी के बयान में भी पीडिता ने अभियुक्त/प्रार्थी को बेकसुर बताया है। उपरोक्त प्रथम सुचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा रजिशन लिखाई गई। क्योकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अभियुक्त सं0–1 व 2 शिकायतकर्ता की पडोसी थी। जिनसे शिकायतकर्ता की पुत्री/पीडिता की घनिष्ट मित्रता थी। परन्तु शिकायतकर्ता उपरोक्त मित्रता से प्रसन्न नही थे आये दिन उन्हे धमकाते रहते थे, अभियुक्त खुले विचारो की महिला थी इसलिये शिकायतकर्ता उन्हें व उनके भाई के साथ फसाना चहती थी। तहरीर में तीनो अभियुक्त का नाम दिये जाने से स्पष्ट है। कि शिकायतकर्ता सभी अभियुक्तो को अच्छी तरह से जानते व पहचानते थे। उपरोक्त मुकदमे में न ही लडकी की बरामदगी अभियुक्त के साथ हुई, न ही मेडीकल रिपोर्ट से कोई गन्दा कृत्य साबित हुआ। उपरोक्त मुकदमे की धारा 8 पाक्सो एक्ट में अधिकतम 5 वर्ष सजा का प्रवाधान है। पीडिता के बयान से स्पष्ट है कि उसको किसी व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर नही ले जाया गया जबकि वह स्वंय गई थी। घटना दिनाक 24.09.2016 समय 03:00 बजे सुबह की बताई गई व प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.09.2016 समय 15:05 का लिखी गई जबकि उपरोक्त घटना रिपोर्ट हाजा थाना बिठूर से मात्र 16 कि०मी० व पुलिस चौकी से 2 कि०मी० दूरी पर घटित होना बताया गया है, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट 60 घंटे 05 देरी से पजीकृत करायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा षडयंत्र के तहत सोच समझकर विधिक राय लेकर राजनैतिक व्यक्तियो के दबाव मे लिखाई गयी है। उपरोक्त मुकदमे प्रार्थी को न्यायालय द्वारा भेजे गये कोई भी प्रोसेस प्राप्त नही हुआ है। दौरान विवेचना प्रार्थी को न्यायालय से जमानत प्राप्त हो चुकी है, व प्रार्थी दौरान विवेचना लगभग माह जिला करागार मे निरुद्ध रह चुका है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है व प्रार्थी की बीमार पत्नी एवं बूढी माता के गुजारे का दायित्व प्रार्थी पर है। किसी तरह रोजी रोटी कमा कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी एक शान्तिप्रिय, न्यायप्रिय व्यक्ति है जिसका कोई अपराधिक इतिहास किसी भी थाने मे नही है न ही किसी फौजदारी न्यायालय मे मुकदमा लम्बित व विचाराधीन है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय एव उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नही है। उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी को दौरान विचरण अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशो एवं दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा–438 के अधीन वर्णित समस्त शर्तों का अनुपालन विधिक रूप से करेगा। उक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा की पुत्री को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ले जाने के

पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य सलंग्न सी०डी० है। अभियुक्त द्वारा उक्त अपराधिक कारित किया गया है जिसके पर्याप्त साक्ष्य है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करेगी तथा पुनः अपराध कारित करेगी। तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) के तर्कों को सुना तथा संपूर्ण केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला–फुसलाकर व्यपहृत किया तथा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया। उपरोक्त कृत्य उसने यह जानते हुये किया कि पीड़िता एस०सी० जाति से सम्बन्धित है। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध विगत कई तिथियों से गैर जमानतीय वारण्ट एवं 82 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं निर्गत की जा रही हैं परन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तथा फरार चल रहा है। अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.03.2026 की प्रति दाखिल की गई जिसके परिशीलन से प्रकट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दो सप्ताह के अन्दर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अभियुक्त के द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। अभियुक्त का यह अभिकथन है कि उसने अपनी जमानत वर्ष 2016 में करा ली थी परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई जमानत बंधपत्र उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय में आरोप पत्र वर्ष 2019 में प्रेषित किया गया था। अभियुक्त विगत 7 वर्षों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है तथा अभियुक्त फरार चल रहा है। भगोड़े व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आदित्य राय की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1369/2026 निरस्त किया जाता है।

(पवन कुमार राय)
विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो एक्ट'/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–20
कानपुर नगर।

Digitally signed by Pawan Kumar Rai
Date: 2026.05.26 11:03:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court